सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 247/17 **निर्णय दिनांकः 31–07–2019**

1.	सुभाष चन्द्र	पिसरान स्व. श्री रामनारायण जाति नाई निवासी गांव सुखचैनपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2.	गोरधन	
3.	सुरजाराम	

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–09–1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 18–09–1995 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि में से कुछ भू–भाग का पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त भूमिहीन के बतौर भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से 50 बीघा आवंटन का पात्र मानते हुए चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 15/57 व मुरब्बा नम्बर 15/58 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट्स को आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 15/57 का कब्जा तो अपीलांट्स को सुपुर्द कर दिया गया परन्तु मुरब्बा नम्बर 15/58 के किला नम्बर 1 ता 25 की भूमि का अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुका है तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि में से मुरब्बा नम्बर 15/58 की भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 15/58 की हद तक निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक अन्य भूमि का नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 18—09—1995 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 12—07—2017 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—09—1995 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 12—07—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा अन्य भूमि के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बारम्बार कथन करने के उपरान्त भी कोई समुचित निर्णय नहीं लिया गया तथा ना ही निर्णय से आवेदक को सूचित किया गया। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए अपीलांट को चक 18 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 15/57 व मुरब्बा नम्बर

15/58 में 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को आवंटित मुरब्बा नम्बर 15/58 की आंवटित भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित होने की टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में उक्त भूमि आज दिनांक तक आराजीराज दर्ज है। अपीलांट के उक्त आवंटन को खारिज करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस देकर सूचित नहीं किया गया ना ही आवंटन खारिज करने की सूचना दी गई। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसीस्थिति में आवंटन अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश एकतरफा एवं मनमानीपूर्ण तरीके से पारित किया गया आदेश होने से पुष्टि योग्य आदेश नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—09—1995 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता के अनुसार मुरब्बा नम्बर 15/58 के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पर समुचित एवं विधि सम्मत निर्णय करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31—07—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर